लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर भोपाल,मध्यप्रदेश
ई–मेल– dpividhya@gmail.com दूरभाष 0755–2583650

क्र / अकादमिक / सी / विविध / जेजेसी / 2023 / 803 भोपाल,दिनांक 20/4/23

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
2. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र म.प्र
3. समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा म.प्र.

विषय :–बाल संरक्षण नीति के कियान्वयन में स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका के संबंध में।
संदर्भ :– एच.सी.जे.जे.सी.की बैठक दिनॉक 23.07.2022

––00––

विषयान्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम (2015), किशोर न्याय आदर्श नियम (2016) एवं मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति एवं सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु (2022) के पालन में स्कूल शिक्षा विभाग के परिचालन, दिशानिर्देश एवं जिला शिक्षा अधिकारियों , जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा के कार्यदायित्व पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–अपरोक्तानुसार

(अनुभा श्रीवास्तव) 20/4/23
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ0क्र / अकादमिक / सी / विविध / जेजेसी / 2023 / 804 भोपाल,दिनांक 20/4/23

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, महिला एवं बाल विकास विजयराजे वात्सल्य भवन 28–ए अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त 20/4/23
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति के क्रिन्यान्वयन में स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका

### प्रस्तावनाः

बाल संरक्षण किसी भी व्यक्ति, परिवार, संस्था प्रणाली या प्राधिकरण की देखरेख में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार (मानसिक एवं शारीरिक), आर्थिक और लेंगिक शोषण सहित सभी प्रकार की हिंसा से संरक्षण प्राप्त करने के लिए अहस्तांतरणीय अधिकार का उल्लेख करता है। मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति समेकित रूप में राज्य में सभी बच्चों के संरक्षण के लिए मानक निर्धारित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षित और संरक्षित है साथ ही वे अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सके और उनका आनंद ले सके एवं इसके लिये सक्षम वातावरण उपलब्ध हो।

मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। मध्यप्रदेश की बाल संरक्षण नीति के अनुसार समस्त संबंधित विभागों विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ऐसे अन्य विभागों जिनके पदाधिकारियों का बच्चों से सीधा संपर्क है,द्वारा इसे अपनाया एवं लागू किया जायेगा।

इस नीति में यह भी निर्देश है कि आपातकाल की स्थिति में, जहां एक बच्चा गंभीर जोखिम/खतरे में प्रतीत होता है, बच्चे के बारे स्थान, परिस्थितियों का विवरण और मदद करने के लिए अन्य सटीक जानकारी बच्चे के रेस्क्यू हेतु चाइल्डलाइन 1098 और पुलिस को प्रदान करें।

किशोर न्याय अधिनियम (2015), किशोर न्याय आदर्श नियम (2016), मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति एवं सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु नीति (2022) के पालन में उपरोक्त नीति के अन्तर्गत समस्त चिकित्सालयों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संचालित सहायित विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण,शिशु बाल गृह, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, खुला आश्रय गृह इत्यादि बाल संरक्षण संस्थान, वात्सल्य सदन में निवासरत बच्चों एवं महिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हांकित और रेस्क्यू किये गये बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के परिचालन दिशा निर्देश निम्नानुसार होगेंः–

### जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व :–

1– जिला शिक्षा अधिकारी बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह (Observation Home) के लिए 02 शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इनमें से एक शिक्षक उच्चतर माध्यमिक स्तर में पढ़ाने की योग्यता वाला हो तथा दूसरा शिक्षक माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाला हों।

2– जिला शिक्षा अधिकारी जिले के बाल गृह, खुले आश्रय में रहने वाले बच्चों तथा विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसियों द्वारा संचालित संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की

शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु संस्थाओं के प्रबंधकों से सतत् समन्वय रखेंगे और यदि इन बच्चों के कक्षा 9 से 12 के स्कूलों में प्रवेश अथवा ओपन स्कूल में पंजीयन में किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति हो तो उसका योग्य निराकरण करेंगे और प्रवेश की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे।

3– जनजातीय कार्य विभाग, यूनिसेफ अथवा अन्य विषय विशेषज्ञों की सहायता से स्कूल स्तर पर सायबर सुरक्षा, और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बच्चों पर हिंसा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

4– समय–समय पर जिले में संचालित बाल गृह, खुला आश्रय एवं विशेष दत्तक गृहों की मॉनिटरिंग करेंगे।

6– जिले में विधिक अधिकारी की सहायता से किशोर न्याय अधिनियम के प्रति छात्रों में जागरूकता अभियान संचालित करना।

## जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र के दायित्व :–

1– जिला परियोजना समन्वयक जिले के बाल संप्रेक्षण गृह, खुले आश्रय में रहने वाले बच्चों तथा विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसियों द्वारा संचालित संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु संस्थाओं के प्रबंधकों से सतत् समन्वय रखेंगे और यदि इन बच्चों के कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में प्रवेश में किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति हो तो उसका योग्य निराकरण करेंगे और प्रवेश की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे।

2– Observation Home के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आवश्यकतानुसार काउन्सिलिंग/स्किल डेवलपमेंट/योगा आदि उचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन जिलों में उपलब्ध विशेषज्ञों से पार्ट–टाईम व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

## विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा के दायित्व :–

1– Observation Homes के बच्चों की केस–स्टडी के आधार पर वांछित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2– यदि Observation Home में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) हों तो उनका उचित मूल्यांकन कराकर बी.आर.सी.सी. कार्यालय में पदस्थ मोबाईल रिसोर्स सलाहकार से मार्गदर्शन दिलाया जाना सुनिश्चित कराना।

(अनुभा श्रीवास्तव) 20/4/23
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश